प्रेस नोट

दिनांक- 19.10.2021

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 349/19 धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त रईस चिकवा पुत्र जमील नि0 भांई थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष जज पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या-12 जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 19.10.2021 को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी श्रीमती आशा देवी पत्नी संजय यादव नि0 पीपरपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 24.10.2019 को समय 16:20 शाम की तहरीरी सूचना की आधार पर वादिनी की 06 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की इस सूचना पर थाना पीपरपुर में मु0अ0सं0 349/19 धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर उ0नि0 रविन्द्र सिंह थानाध्यक्ष पीपरपुर द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-319 दिनांक 27.11.2019 को मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी।